



GST परिषद की 50वीं बैठक

प्रलिस के लयः

[वसतु एवं सेवा कर \(GST\) परिषद](#), [ऑनलाइन गेमगऱ](#), [GST अपीलऱय नुयायाधकरऱण](#), [धन शोधन नवलरऱण अधनऱयऱम](#), [प्रवरतन नदऱशललय](#), [वतऱतऱय काररवाई कारय बल](#)

मेनुस के लयः

GST परिषद के कारय, भारत में ऑनलाइन गेमगऱ का वनऱयऱमन

चरचा में क्युँ?

[वसतु एवं सेवा कर \(GST\) परिषद](#) ने अपनी 50वीं बैठक में वभऱनऱन वसतुओं पर कर दरुँ में परवलरतन करने के साथ ही [ऑनलाइन गेमगऱ](#), [कसीनु](#) एवं [घुडदुँड](#) के लयऱ नऱयऱम तय कयऱ ।

- परऱषद ने ऑनलाइन गेमगऱ, कसीनु एवं घुडदुँड के लयऱ लगाए गए दऱँ के पूरण अंकतऱ मूल्य पर एक समऱन 28% कर लगऱने का नरऱणय लयऱ ।

बैठक की प्रमुख वशऱषतऱएँ:

- कर की दरुँ में परवलरतन: GST कांउंसलऱ ने कर दरुँ में नऱमऱनलखऱतऱ संशुधन कयऱः
 - बनऱ पकाए या बनऱ तले हुए सुनैक पैलेट और मछली में घुलनशील पेसुट: कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई ।
 - नकली जरी धऱगे या सूत: कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई ।
 - सनऱमा हॉल के अंदर उपभुग कयऱ जाने वाले खऱद्य और पेय पदऱरुथ: सनऱमा सेवाओं पर पछऱली 18% की कर दर कु घटाकर 5% नरऱधऱरतऱ कयऱ गयऱ ।
 - मूवी सेवाओं पर पहले के 18% कर के बजाय, इनपुट टैकुस करेडऱटऱ के बनऱ कर की दर कु घटाकर 5% कर दयऱ गयऱ ।
 - ऑनलाइन गेमगऱ, कसीनु एवं घुडदुँड में कर उपचारः
 - भले ही उनमें कुशल, अवसर या संयुजन शऱमलऱ हुे, ऑनलाइन गेमगऱ, कसीनु एवं घुडदुँड गतवऱधऱयऱं पर लगाए गए दऱँ पर अब 28% GST लेवी ऱरुपतऱ की जऱएगी ।
 - कर दऱँके के भीतर ऑनलाइन गेमगऱ कु शऱमलऱ करने के लयऱ GST कऱनुनुँ में संशुधन कयऱ जऱनुऱ है ।
- GST से छुटः
 - GST परिषद ने कँसर के ईलऱज से संबंघतऱ दवऱओं, दुऱरुलभ बीमऱरऱयऱं की दवऱओं और वशऱष चकऱतऱसऱ उददेश्युँ वाले खऱद्य उत्पादुँ कु GST से छुट प्रदऱन की है ।
- GST अपीलऱय नुयायाधकरऱणुँ की स्थापनऱ:
 - इस परिषद ने देश में GST अपीलऱय नुयायाधकरऱणुँ की 50 पीठुँ की स्थापनऱ के लयऱ रऱज्युँ के प्रसुतऱवुँ की जऱँच की ।
 - प्रऱरंभकऱ पीठुँ रऱज्युँ की रऱजधऱनऱयऱं और उन स्थाणुँ पर स्थापतऱ की जऱएंगऱ जहऱँ उचुच नुयाऱलऱयुँ की पीठ है ।
- GST नेटवरुक और PMLA कु लेकर वुयकुत चतऱऱएँ:
 - प्रवरतन नदऱशललय दवऱरऱ प्रशऱसतऱ धन शोधन नवलरऱण अधनऱयऱम के दऱयरे में GST नेटवरुक कु लऱए जऱने के हऱलऱयऱ फँसले की कुछ रऱज्युँ ने ऱलुओचना की है ।
 - वशऱष रूड से तमलऱनऱडु ने तरुक दयऱ कयऱह सऱवऱेशन करदऱतऱऱं के हतऱं और GST अपरऱधुँ कु अपरऱधमुकुत करने के उददेश्य के बलऱकुल वऱपऱरऱत है ।
 - जबकऱ रऱजसुव सचवऱ ने परिषद कु ऱशवऱसन दयऱ है कयऱह [वतऱतऱय काररवाई कारय बल](#) की ऱवशुयकुतऱऱं के ऱनुऱरूड है ।
 - ऐसऱ सुपषुट कयऱ गयऱ थऱ कऱ [प्रवरतन नदऱशललय GSTN](#) से कऱसऱ प्रकरऱ की कुई जऱनकऱरी सऱडुऱ नहऱँ करेगऱ तथा इस अधसुऱचना कऱ उददेश्य कर [चुुरी और धन शोधन की सऱसुयऱ से नऱपऱटने के लयऱ कर अधकरऱरऱयऱं कु सशकुत बनऱनुऱ है ।](#)

GST परिषद:

■ परचिय:

- GST परषिद एक संवैधानिक नकिय है जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से संबंधति मुद्दों पर सफिराशें करती है।
- संशोधति संवधान के अनुच्छेद 279ए (1) के अनुसार, GST परषिद का गठन राष्ट्रपतिद्वारा कया गया था।

नोट: GST एक मूल्य वर्द्धति कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह एक व्यापक अपरत्यकष कर है जसि 1 जुलाई, 2017 को **101वें संवधान संशोधन अधिनियम, 2016** के माध्यम से 'एक राष्ट्र एक कर' के नारे के साथ भारत में लागू कया गया था।

■ सदस्य:

- परषिद के सदस्यों में केंद्रीय वतित मंत्री (अध्यकष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वतित) शामिल हैं।
- प्रत्येक राज्य वतित या कराधान के प्रभारी मंत्री या कसिी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामति कया जा सकता है।

■ कार्य:

- अनुच्छेद 279 A (4) के अंतर्गत परषिद GST से संबंधति महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर संघ और राज्यों से सफिराशि करती है, जैसे कषिस्तु और सेवाएँ जो GST के अधीन हैं या जनिहें छूट दी जा सकती हैं, मॉडल GST कानून, आपूर्ति के स्थान को नयित्तरति करने वाले सदिधांत, प्रारंभिक सीमाएँ, बैंड के साथ फ्लोर रेट सहति GST दरें, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अतरिकित संसाधन जुटाने के लयि वशिष दरें, कुछ राज्यों के लयि वशिष प्रावधान आदि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. नमिनलखिति पर वचिर कीजयि:

1. छलिका उतरे हुए अनाज
2. मुर्गी के अंडे पकाए हुए
3. संसाधति और डबिबांबंद मछली
4. वजिजापन सामग्री युक्त समाचार-पत्र

उपर्युतत में से कौन-सा/से जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत छूट प्राप्त है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर : (c)

प्रश्न. 'वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्वसिज टैक्स/GST)' के क्रयानवति कयि जाने का/के सर्वाधकि संभावति लाभ क्या है/हैं? (2017)

1. यह भारत में बहु-प्राधकिरणों द्वारा वसूल कयि जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापति करेगा।
2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर वदिशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सकषम बनाएगा।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को बृहद रूप से बढ़ाएगा तथा उसे नकित भवषिय में चीन से आगे नकिल जाने योग्य बनाएगा।

नमिनलखिति कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

?????????:

प्रश्न. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को कषतपूरति) अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजयि। कोवडि-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर कषतपूरति नधि (जी.एस.टी कॉम्पेंसेशन फंड) को प्रभावति और नए संघीय तनावों को उत्पन्न कया है? (2020)

प्रश्न. उन अप्रत्यक्ष करों की गिनाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) में सम्मिलित किये गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रयान्वति जी.एस.टी के राजस्व नहितार्थ पर टपिपणी कीजिये। (2019)

प्रश्न. संवधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रमुख अभलिषणों को समझाइये। क्या आप समझते हैं कयिह "करों के सोपानकि प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लयि साझा राष्ट्रीय बाज़ार उपलब्ध कराने में" काफी प्रभावकारी है? (2017)

प्रश्न. भारत में माल व सेवा कर (जी.एस.टी) प्रारंभ करने के मूलाधार की वविचना कीजिये। इस वयवस्था को लागू करने में वलिंब के कारणों का समालोचनात्मक वरणन कीजिये। (2013)

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/50th-meeting-of-gst-council>

